



19-11-18

वकूल ए. फरी. उप. / वकील गार्दीगा के  
द्वारा कां. 6 से 10 व 15 के नोटिस एसी  
नोटिस कापवाना पेश किए जो जारी है। वकील  
गार्दीगा तीन दिनों के अंतर्गत कां. 11 के  
नोटिस कापवाना-पत्र आवश्यक रूप से पेश  
करे, उन्हें अति आवश्यक दिनांक है। मिसल  
दि. 19-11-18 को पेश हो।

पीयूष समारिया  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

19-2-18

वकूल ए. फरी. उप. / पी. ओ. सा. दीगर प्रशा. कार्यो  
व्यस्त / .....  
पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी. ओ.  
मनसूख दिनांक..... 15-5-18 को पेश हों।

3-5-18

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज  
नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल  
कैम्प..... में दिनांक 11/6/18 को पेश हो।

पीयूष समारिया  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

11-6-18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट  
देवाता में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित।  
तदनुसार व्यावर उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को  
सुना गया। अदालत निर्णयानुसार पर बोर सुनवाई पत्रावली  
को अवलोकन किया गया। बोर अवलोकन मामला पत्रावली  
द्वारा गार्दीगा के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा सेड-  
लिटर का सेटुसन भी गार्दीगा के पक्ष में बनना पाया  
जाता है। बूटि मूल वार संख्या 94/16 सभी विचारणीय हैं  
एवं न्याय की मंशा के मध्यमनगर उक्त मूल वार संख्या  
94/20/16 के अंतिम निस्तारण तक उपमहान गार्दीगा  
एवं अगार्दीगा। से 17 की जरिए अदालत निर्णयानुसार  
सैफावर किया जाता है कि वे मौके एवं रेकोर्ड की  
स्थिति कावत गुम देवाता की वादग्रस्त डारानी पर  
बनाए रखेंगे। सर्व पक्षकारान अपना-अपना पैदा करे।  
मिसल फैसल सुनार डारन नम्बर से करा हो।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

*[Handwritten signature]*

पत्रावली

जर्ग

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*